न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 18/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

मैसर्स एस.बी.एफ.सी. फाईनेन्स लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी **नीतू** स्वामी
रजिस्टर्ड ऑफिसः–ओ–7 फर्स्ट फ्लोर अबोव लुक सैलून लाजपत नगर नई दिल्ली
क्षेत्रीय कार्यालयः–फर्स्ट फ्लोर, अबोव राजधानी ग्लास, इनफ्रण्ट ऑफ मेट्रो पिलर नं. 63, कामाहाउस भौमियाजी टेम्पल, ई.एस.आई.सी. हॉस्पिटल, जयपुर राज.

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **RAMOTAR GURJAR S/O MADHA RAM GURJAR**
2. **SURESHI DEVI**
3. **RAM CHANDRA GURJAR S/O MADHA RAM GURJAR**
   ADDRESS 1 :- Patta no 03, 04 Book no 203 Village Naharbandh G.P. Norana P.S. Patan Near Hotel Tirupati Tehsil Neem ka Thana Dist Sikar Rajasthan 332718
   ADDRESS 2 :-Ward no 17 Dhani Nahar Bandh ki Neem ka Thana Patan Sikar Rajasthan 332718

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 23 मार्च, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री महेन्द्र कुमार स्वामी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **RAMOTAR GURJAR S/O MADHA RAM GURJAR, SURESHI DEVI and RAM CHANDRA GURJAR S/O MADHA RAM GURJAR** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राथीगणों के स्वामित्व की अचल सम्पति **पट्टा नंबर 03, 04 बुक नम्बर 203 ग्राम नाहरबन्ध नोराना, ग्राम पंचायत नोराना पंचायत समिति पाटन नियर**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

होटल तिरूपति तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान 332718 में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 201.91 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में पूरन व रामोतार की सम्पत्ति, पश्चिम दिशा में रामचन्द्र व रामसिंह का मकान, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹13,00,000/– (अक्षरे रूपये तेरह लाख) व ₹7,24,654/– (अक्षरे रूपये सात लाख चौबीस हजार छः सौ चौवन)** कुल **₹20,24,654/– (अक्षरे रूपये बीस लाख चौबीस हजार छः सौ चौवन)**की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **17.09.2025** के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **17.09.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **RAMOTAR GURJAR S/O MADHA RAM GURJAR, SURESHI DEVI and RAM CHANDRA GURJAR S/O MADHA RAM GURJAR** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राथीगणों के स्वामित्व की अचल सम्पति **पट्टा नंबर 03, 04 बुक नम्बर 203 ग्राम नाहरबन्ध नोराना, ग्राम पंचायत नोराना पंचायत समिति पाटन नियर होटल तिरूपति तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान 332718** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 201.91 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में पूरन व रामोतार की सम्पत्ति, पश्चिम दिशा में रामचन्द्र व रामसिंह का मकान, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **23 मार्च, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर